राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1504/2024

अकील मोहम्मद –अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय माध्यमिक, झालावाड़।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 09.04.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री सलीम खान, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने अपने निलम्बन आदेश दिनांक 27.02.2024 (अनुलग्नक–1) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को निलम्बित किया गया है। बहस के दौरान अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी निलम्बन से पूर्व शारीरिक शिक्षक के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गुराडियाकलां ब्लॉक भवानीमण्डी, जिला झालावाड़ में कार्यरत थे। निलम्बन आदेश के साथ–साथ उसका मुख्यालय परिवर्तन कर झालावाड़ जिले से बाड़मेर जिला कर दिया गया है और अपीलार्थी का मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय माध्यमिक, बाड़मेर रखा गया है। बहस के दौरान अपीलार्थी के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वह अपील को अपीलार्थी के मुख्यालय परिवर्तन की हद तक सिमित रखना चाहते हैं।
2. अपीलार्थी शारीरिक शिक्षक के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गुराडियाकलां ब्लॉक भवानीमण्डी, जिला झालावाड़ में कार्यरत था। अपीलार्थी के विरूद्ध आरोप है कि उसने विद्यालय में गुटबाजी करने एवं ग्रामीणों को भड़काने एवं विद्यालय शैक्षिक वातावरण को दुषित किया, जिस कारण अपीलार्थी को निलम्बित कर उसका मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय माध्यमिक बाड़मेर किया गया है। हम यह पाते हैं कि अपीलार्थी के विरूद्ध आरोपों के दृष्टिगत अपीलार्थी का मुख्यालय एक जिले से दूसरे जिले में किया जाना उचित नहीं है।

3. परिणामस्वरूप यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी का मुख्यालय झालावाड़ जिले में ही किसी स्थान पर किये जाने के आदेश पारित करें।
4. इस आदेश की पालना एक माह में सुनिश्चित की जाये।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)